



कार्यालय अधिशासी अभियंता उत्तराखण्ड जल संस्थान, पिथौरागढ़

पत्रांक

2696 / 0030-9110 / 126

दिनांक

10/10/2024

सेवा में

श्री देव सिंह चौहान,
न्यू सेरा,
जिला- पिथौरागढ़।

विषय -

विकास खण्ड कनालीछीना की दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मिताडीगॉव पेयजल योजना मरम्मत कार्य के सम्बन्ध में।

उपरोक्त विषयक जिला योजना वर्ष 2024-25 में विकास खण्ड कनालीछीना की दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मिताडीगॉव पेयजल योजना मरम्मत कार्य कराये जाने हेतु इस शाखा के पत्रांक 2390/विज्ञप्ति/43 दिनांक 07.09.2024 द्वारा दिनांक 20.09.2024 को आमंत्रित कोटेशनो में आपके द्वारा निविदित दरे प्रथम न्यूनतम पायी जाने के कारण अद्योहस्ताक्षरी द्वारा स्वीकृत कर दिये जाने के फलस्वरूप आपको उक्त कार्य किये जाने हेतु कार्यादेश निर्गत किया जाता है।

अतः अपर सहायक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता के निर्देशानुसार निम्न कार्य पूर्ण कर अपना देयक प्रस्तुत करें।

S. No.	Particilrs of item	Qty	unit	Rate	Amount
1-	Excavation of earth for Pipe line trenches at main and distribution pipe line at damaged places including all matrials, labour, T&P complete.				
a	In boulder & hazzard mixed earth	104.40	cum	240.00	25056.00
2-	Carting of GI Pipes from Pithoragarh divisional store to the site of work Laying & jointing of following sizes of G. I. Pipes in to the trenches including labour, T&P complete.				
a	25 mm	78.00	Mtr	42.00	3276.00
b	15 mm	212.00	Mtr	24.00	5088.00
3-	R.R Stone masonry 1:5 work in Cement /sand mortar for safety of source at Phase I & Phase II upper side	2.86	cum	4100.00	11726.00
4-	Construction of RCC Intake Chamber Including all labour material T&P complete 0.60X0.60X0.60 mtr.	2.00	job	15000.00	30000.00
	Total:-				75146.00
	GST18%				13526.28
	G.Total				88672.28
	G.Total				88672.00

शर्तें :-

- सफलतम् ठेकेदार को कार्यादेश निर्गत 30 दिवस के अन्तर्गत कार्यादेश के अनुसार विकास खण्ड कनालीछीना की दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मिताडीगॉव पेयजल योजना मरम्मत कार्य किया जाना होगा।
- देयक से नियमानुसार टी0डी0एस0 एवं अन्य करों की कटौती की जायेगी।
- सफलतम् ठेकेदार को परफॉरमैन्स गारन्टी क्लॉज के अन्तर्गत कार्यादेश के अनुसार विकास खण्ड कनालीछीना की दैवीय आपदा से क्षतिग्रस्त मिताडीगॉव पेयजल योजना मरम्मत के कराये गये कार्य के सुचारु रूप से एक वर्ष तक चालू रहने के उपरान्त ही जमानती धनराशि अवमुक्त कर प्रत्यावर्तित की जानी सम्भव हो सकेगी।
- देयक के साथ कार्य से पूर्व कार्य के दौरान एवं कार्य पूर्ण उपरान्त जियोटैग युक्त फोटोग्राफ प्रस्तुत किये जाने के उपरान्त ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
- देयक भुगतान के समय प्रथम पक्ष का जी0एस0टी0एन0 नम्बर ऐक्टिव होना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में भुगतान की कार्यवाही नहीं की जायेगी एवं पै नम्बर आधार से लिंक किया जाना आवश्यक होगा अन्यथा की स्थिति में आयकर की कटौती उच्चतम दरों से की जायेगी।
- शेष शर्तें अनुबन्ध संख्या- 44 दि0 09/10/2024 के अनुसार प्रभावी होंगी।

भवदीय

(सुरेश चन्द्र जोशी)
अधिशासी अभियन्ता (प्र0)

पृ0स0

2696 / 0030-9110

1126

दिनांक

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं प्रेषित।

- सम्बन्धित अपर सहायक अभियन्ता/सहायक अभियन्ता उत्तराखण्ड जल संस्थान पिथौरागढ़।
- लेखाकार/संगणक/स्टोर कीपर उत्तराखण्ड जल संस्थान पिथौरागढ़।
- निविदा पत्रावली।

अधिशासी अभियन्ता (प्र0)